(7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठसीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
प्रकरण संख्याः 472/2024

बलविन्द्र सिंह पुत्र स्व. हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

-:प्रार्थी/प्रतिवादी

बनाम्

बलराज सिंह दत्तक पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

-:अप्रार्थी/वादी

परस्थितः-

1 श्री बलवीर सिंह - अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी
2 श्री लालचंद वर्मा - अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी

-:निर्णयः-

दिनांक :- 08.12.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेशी में ली गई। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2025 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादी की भूमि को पैतृक भूमि का अंकन करते हुए उस भूमि में वादी का जन्म से अधिकार होना बताया है। वादी प्रतिवादी का दत्तक पुत्र नहीं है, गोदनामा दिनांक 20.01.2010 अपने पक्ष में वादी द्वारा लगभग 25 वर्ष की उम्र में प्रतिवादी/प्रार्थी से छल कपट एवं धोखा में रखकर तैयार करवाया है जिसे अवैध व शून्य घोषित करवाने के लिए जिला न्यायालय हनुमानगढ में बलविन्द्र सिंह बनाम बलराज सिंह सिविल वाद लंबित है। वादी ने वादपत्र में वादाधीन सम्पति प्रतिवादी के पिता हरनेक सिंह की होना बताया है जिसकी मृत्यु के पश्चात उनके कुल 6 पुत्रों में भूमि का विभाजन हुआ है जिसका नामान्तरण सख्या 826 दिनांक 30.10.2024 को हुआ है। इस विभाजन से वादाधीन सम्पति प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति घोषित हुई है। प्रतिवादी के पिता के नाम पर यह सम्पति उनके समस्त पुत्रों प्रतिवादी व उसके भाईयों द्वारा वहन की गई है। वादाधीन सम्पति कभी भी तीन पीढ़ियों में नहीं रही है। ऐसी अवस्था में वादाधीन सम्पति पैतृक भूमि नहीं है व ना ही वादी को इस भूमि के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त होते है। उक्त पैतृक भूमि में पिता की जीवित अवस्था में पौत्र को अपने नाम संपति करवाने का कोई अधिकार नहीं है। पौत्र व पौत्रियां प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है इस कारण भी वादी का वादपत्र विधि से वृजित होने के कारण पोषणीय नहीं है। अतः वादपत्र वादी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

वादी अधिवक्ता श्री लालचंद वर्मा ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया तथा मुख्य रुप से यह कथन किया कि कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी कतई गलत व विधि विरूद्ध है। वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के किसी भी उपबंध के अन्तर्गत खारिज होने योग्य नहीं है तथा ना ही विधितः वर्जित है। प्रतिवादी ने जबावदेही प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी का यह कथन कतई झूठ है कि वादी प्रतिवादी का दत्तकग्रहिता पुत्र ना हो बल्कि

कलक्टर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

प्रतिवादी ने वादी को उसकी बाल्यावस्था में ही दत्तक में ग्रहण कर लिया था तथा इस गोद के तथ्य की अभिस्वीकृति स्वरूप दिनांक 20.01.2010 को प्रतिवादी ने रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित किया था। प्रतिवादी ने इस गोदनामा को चुनौती देते हुए सिविल न्यायालय के समक्ष वादपत्र अवश्य प्रस्तुत किया है जिसमें वादी ने सुदृढ़ जबावदेही की है। प्रश्नगत भूमि वादी के दादा की थी जो उनके देहांत उपरांत विरास्तन प्रतिवादी को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में किये गए अभिवचन तथ्य मिश्रित प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी को अपने पिता स्व0 श्री हरनेक सिंह के देहांत उपरांत विरास्तन प्राप्त हुई है तथा पैतृक सम्पति होने से इस भूमि में वादी का जन्मतः अधिकार है। वादपत्र के अभिवचन एवं सार से वादी का घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत यह वादपत्र विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के किसी भी उपबंध से प्रभावित नहीं होता। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाए गए अभिवचन तथ्य व साक्ष्य मिश्रित प्रश्न है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी का वादपत्र किसी भी सूरत में विधितः वर्जित नहीं है। प्रतिवादी ने जबाव दावा प्रस्तुत करने में विलंब कारित करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त सम्पति प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति है। वादी प्रतिवादी के जीवनकाल में वादग्रस्त सम्पति में किसी प्रकार की घोषणा एवं विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा अपने आपको प्रतिवादी का दत्तक पुत्र होना अंकित किया है जबकि गोदनामा के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई है। गोदनामा निरस्ती का सिविल वाद, सिविल न्यायालय में लंबित है जिसमें दोनों पक्षों द्वारा सिविल न्यायालय में विचारण भी किया जा रहा है। गोदनामा वर्तमान में सिविल न्यायालय में चुनौतीधीन है। इस तथ्य को प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। पुत्र, पौत्र एवं पडपौत्र तीन अंशों में उत्तराधिकार में सम्पति प्राप्त होने के पश्चात सहदायिक सम्पति की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में सम्पति तीन अंशो में उत्तराधिकार में निर्गमित नहीं हुई है तथा दादा की सम्पति में पिता के जीवनकाल में पौत्र एवं पौत्री को सहदायिक सम्पति में घोषणा तथा विभाजन के लिए वाद पोषणीय नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 एवं धारा 8 की सम्पूर्ण व्याख्या न्यायिक दृष्टान्तो में स्पष्ट की गई है। इन न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का वादी का हक व हिस्सा वादाधीन सम्पति में नहीं पाया जाता है, इसलिए वादपत्र वादी विधि द्वारा वृजित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान मेरे समक्ष निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए :-

(1) 2018(2) सीजे सिविल (राज0) पेज 1105

(2) 2024 (3) सिविल कोर्ट केस्ज पेज 165

(3) 2024 (2) सिविल कोर्ट केस्ज पेज 446

(4) कमलेश देवी बनाम मंगतराम आदि आरएसए नंबर 6175/2014 (ओ एण्ड एम) निर्णय

दिनांक 04.03.2016

(5) डीएनजे 2020 एस.सी. पेज 495

वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वादाधीन सम्पति वादी के दादा की कृषि भूमि है तथा अपने दादा की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी जो वादी का दत्तक ग्रहिता पिता है, को विरास्तन में वादग्रस्त सम्पति हासिल हुई है तथा अपने भाईयों के साथ दिनांक 30.10.2024 के नामांतरण संख्या 826 के जरिये विभाजन में प्राप्त हुई है और वादी प्रतिवादी का दत्तक पुत्र है जिसे दत्तक ग्रहण करने के पश्चात जन्म से वादग्रस्त सम्पति में हक व हिस्सा प्राप्त है। उभय पक्षों की बहस सुनने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में निम्न मत प्रतिपादित किये गये है :-

(1) 2018(2) सीजे सिविल (राज0) पेज 1105, ओमप्रकाश बनाम अमरनाथ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णित किया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की प्रथम अनुसूचि के अनुसार पिता के जीवित रहते हुए पुत्र या पुत्री को या पुत्र के जीवित रहते हुए पौत्र या पौत्री को उत्तराधिकार नहीं माना गया है, इस प्रकार पिता के जीवित रहते हुए उसके पुत्रों को उत्तराधिकार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार जब कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त करता है तो उसे अपनी निजी सम्पति के रूप में प्राप्त करता है और उसका उत्तराधिकार उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत होगा। इस प्रकार विधिक स्थिति यह है कि सन् 1956 के बाद यदि कोई व्यक्ति स्वअर्जित सम्पति की बिना वसीयत के मरता है तो उसकी सम्पति भले ही उसके पुत्र या पुत्री ने प्राप्त की हो, वह सहदायिकी सम्पति नहीं हो सकती। इस प्रकार पिता के जीवित रहते हुए वादीगण को यह विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

(2) 2024 (3) सिविल कोर्ट केस्ज पेज 165 मनोज शर्मा आदि बनाम पंकज शर्मा आदि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित सम्पति रामनाथ शर्मा के नाम पर थी, यह भी स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जीवित है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित सम्पति के संबंध में मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि 1956 के अधिनियम की अनुसूची 1 में बच्चे या बच्चे के पौते/पोती को शामिल नहीं किया गया है।

(3) 2024 (2) सिविल कोर्ट केस्ज पेज 446 दलीप सिंह आदि बनाम गोपाल सिंह में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का अस्वीकृत-विधि द्वारा वृजित विभाजन और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद वादी के लिए अपने पिता के जीवनकाल में सम्पति को पैतृक

होने का दावा करना और उसमें हिस्सा प्राप्त करना वृजित है-वाद विधि द्वारा वृजित है, वादपत्र अस्वीकृत।

(4) कमलेश देवी बनाम मंगतराम आदि आरएसए नंबर 6175/2014 (ओ एण्ड एम) निर्णय दिनांक 04.03.2016 में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 (दिनांक 20.12.2004 को संशोधित) सहदायिक सम्पति-पैतृक सम्पति माने जाने के लिए, सम्पति उस व्यक्ति के पुत्रों, पौत्रो और पडपौत्रो (तीन अंश) द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त होनी चाहिए जिसने इसे मूल रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, सिविल डिक्री के माध्यम से विरास्त में मिली सम्पति लाभार्थियों के लिए स्वअर्जित सम्पति बन जाती है जिससे संयुक्त हिन्दू सहदायिक सम्पति का उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है। मंगतराम और राजेन्द्र कुमार को अपने पिता गुगनराम से उपहार डिकी के माध्यम से विरास्त में मिली सम्पति उनकी स्वअर्जित सम्पति बन गई क्योंकि उत्तराधिकार की केवल दो अंश मंगतराम और गुगनराम स्थापित किए गए थे, न कि पैतृक सम्पति के लिए अपेक्षित तीन अंश मंगतराम-गुगनराम-मामराज।

(5) डीएनजे 2020 एस.सी. पेज 495 राधबाई बनाम रामनारायण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6-अपीलाण्ट द्वारा घोषणा व विभाजन हेतु वाद पेश किया और पिता साहबलाल जिसकी मृत्यु 1957 में उसके पिता के पूर्व हुई, के जरिये हिस्से की मांग की-जे.आर. की 1982 में मृत्यु हुई-अपीलाण्ट की माता की मृत्यु वाद पेश करने से पूर्व 1984 में हुई, दिनांक 21.07.1979 को 'जे.आर.' ने रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा भूमि उसके पौत्रो/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 को बेचान की और भूमि उसके नाम नामांतरित हुई-सुखदेव के पुत्र 'जे.आर.' तथा 'पी.आर.' ने पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 1967 में सम्पति विभाजित की, 'जे.आर' सम्पति का अनन्य स्वामी था-वाद खारिज किया-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने डिकी को उलटा किया-उच्च न्यायालय ने निर्णय अपास्त किया तथा वाद खारिज किया-साहेबलाल का सम्पति में अधिकार नहीं इसलिए अपीलाण्ट को हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं है-पौत्र व पौत्री प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान नहीं है-साहेबलाल सुखदेव का पौत्र था और सुखदेव की मृत्यु 1965 में हुई। अपीलाण्ट ने 1967 के विभाजन को चुनौती नहीं दी, विकय अभिलेखों को चुनौती नहीं दी, 'जे.आर.' की पौत्री उसके पिता से उच्चतर अधिकार का दावा नहीं कर सकती। इस न्यायिक मत में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि पिता के जीवनकाल में पौत्र व पौत्री सम्पति में अपना उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद बलविन्द्र सिंह प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसमें वादी के द्वारा बलविन्द्र सिंह को दत्तक ग्रहिता पिता अंकित किया गया है। उभय पक्ष के द्वारा दत्तक विलेख को सिविल न्यायालय में चुनौती दिया जाना भी स्वीकार किया है। यह एक स्वीकृत स्थिति रही है कि बलराज सिंह द्वारा बलविन्द्र सिंह को अपना दत्तक पिता होना व्यक्त करते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह मत व्यक्त किया है कि पुत्र, पिता के जीवनकाल में सम्पति का हिस्सा नहीं ले सकता है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण

में पूर्णतया चस्पां होते है। चूंकि पिता-पुत्र की प्रास्थिति भी उभय पक्ष द्वारा विवादित होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में वादी किसी प्रकार से भी सम्पति की घोषणा एवं विभाजन अपनी प्रास्थिति को पूर्णतया साबित किए बिना तथा बलविन्द्र सिंह के जीवनकाल में प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का वाद विधि द्वारा वृजित है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान व माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि पुत्र, पौत्र एवं पडपौत्र तीन अंशों में उत्तराधिकार में सम्पति प्राप्त होने के पश्चात सहदायिक सम्पति की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में सम्पति तीन अंशो में उत्तराधिकार में निर्गमित नहीं हुई है तथा दादा की सम्पति में पिता के जीवनकाल में पौत्र एवं पौत्री को सहदायिक सम्पति में घोषणा तथा विभाजन के लिए वाद पोषणीय नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 एवं धारा 8 की सम्पूर्ण व्याख्या न्यायिक दृष्टान्तो में स्पष्ट की गई है। इन न्यायिक दृष्यन्तो की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का वादी का हक व हिस्सा वादाधीन सम्पति में नहीं पाया जाता है क्योंकि हरनेक सिंह जो वादी का दादा है, की सम्पति दूसरी पीढी अर्थात् वादी के पिता को जरिये विरास्तन प्राप्त हुई है जिसका वह स्वामी है। प्रतिवादी बलविन्द्र सिंह के जीवनकाल में उसके पुत्र व पौत्री किसी भी प्रकार से वादाधीन सम्पति में घोषणा अथवा विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान परिस्थिति में हकदार नहीं पाता हूं।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तथा हस्तगत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार कर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ